

अवैध प्लाटिंग पर चला निगम का बुलडोजर , पुलिस बल की मौजूदगी हुई कार्यवाही भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड नं. 16, कैलाशनगर कुरुद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर आज कार्यवाही की गई। जोन क्रमांक 02 क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर अनाधिकृत रूप से सीमेंट का घेरा , मुरुम से बनाए गए मार्ग संरचना एवं चूना लाइन को जेसीबी से हटाया गया। मौके से 40 ट्रिप मुरुम जप्त किया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध निर्माणकर्ता , अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व भी कुरुद क्षेत्र और शांतिनगर में इंदू आईटी स्कूल के पीछे , बाबादीपसिंह नगर तथा आर्यनगर कोहका में इसी प्रकार की अवैध प्लाटिंग व शासकीय जमीन पर निर्माण करने वालों पर कार्यवाही की गई थी। अग्रिम कार्यवाही के लिए वार्ड नं. 16, कैलाशनगर कुरुद क्षेत्र के पटवारी से स्थल का नक्शा खसरा मांगा गया है। निगम भिलाई द्वारा कैलाशनगर कुरुद क्षेत्र में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर प्लाटिंग करने वाले पर सख्त कार्यवाही करने 4 जेसीबी, 6 हाइवा व 01 ट्रेक्टर के साथ निगम की तोड़फोड़ दस्ता की टीम स्थल पर पहुंची। निगमायुक्त ने अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं तथा दल का गठन भी किया गया है। आयुक्त के निर्देश के पालन में जोन आयुक्त जोन क्रमांक दो सुनील अग्रहरि द्वारा आज कैलाशनगर कुरुद क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई है।

जनसम्पर्क अधिकारी

